



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221102
CG-DL-E-13082020-221102

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2401]

ubI fnYyh] exyokj] vxLr 11] 2020@ Jko.k 20] 1942

No. 2401]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ.2707(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2646(अ), 2647(अ), 2649(अ), तारीख 09 अगस्त, 2017, भारत के राजपत्र सं० 2320 तारीख 14 अगस्त, 2017, में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' हेतु जिला बेगूसराय में एलपीजी के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 11, मई, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची संलग्न

अनुसूची					
जिला बेगुसराय			राज्य बिहार :		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बरौनी	बथौली 511-	947	00	13	38
		948	00	04	18
		686	00	10	61
		685	00	01	96
		700	00	12	46
		701	00	17	26
बरौनी	सुलतानपुर 513-	95	00	03	17
बरौनी	निंगा 517 -	1369	00	15	30
बरौनी	मैदाबशनगांवां 514 -	1629	00	15	30
		1625	00	14	72
		1627	00	09	11
		1623	00	11	94
		1665	00	16	41
		1730	00	02	74
		1729	00	16	80
		1722	00	17	25
		1721	00	00	40

		981	00	08	94
भगवानपुर	लखनपुर299 -	2019	00	03	22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भगवानपुर	सतराजेपुर 303 -	520	00	07	41
		522	00	00	96
		502	00	06	61
		505	00	03	62
		488	00	01	51
		489	00	00	69
भगवानपुर	अतरुआ 189-	595	00	00	40
		397	00	04	58
बछवारा	मरांची 40 -	2055	00	01	30
		2054	00	03	40
		2053	00	06	00
		2052	00	04	69
		2048	00	08	00
		2029	00	04	37
		2027	00	01	21
		2015	00	01	14
		1627	00	15	71
		1626	00	11	14
		1635	00	04	14
		1661	00	02	52
		1649	00	00	40
		1688	00	00	41
		1687	00	15	19
		1701	00	02	36
		2080	00	00	40
		1694	00	04	11
		1695	00	04	36
		1696	00	00	97
		1555	00	01	99

		1554	00	07	93
		1447	00	07	96
		1449	00	01	15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1450	00	16	75
		1402	00	06	42
		1398	00	10	35
		761	00	00	40
		768	00	03	02
		767	00	01	69
		766	00	03	07
		765	00	00	40
		800	00	01	20
		801	00	03	58
		799	00	02	70
		798	00	09	69
		797	00	09	04
		796	00	05	43
		813	00	05	32
		814	00	02	96
		790	00	06	60
		789	00	07	31
		865	00	03	11
		866	00	06	82
		872	00	16	45
		943	00	05	20
		501/2118	00	03	00

[फा. सं. आर. 11025(11)/235/2017—ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O.2707(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No.2646(E),2647(E),2649(E) Dated 09 August, 2017, published in the Gazette of the India Gazette No-2320 dated 14 August, 2017 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG in Begusarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 11 May 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

"SCHEDULE ANNEXED"

<u>Schedule</u>					
District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barauni	Bathauli- 511	947	00	13	38
		948	00	04	18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		686	00	10	61
		685	00	01	96
		700	00	12	46
		701	00	17	26
Barauni	Sultanpur- 513	95	00	03	17
Barauni	Nigaa- 517	1369	00	15	30
Barauni	Maidababhangaona- 514	1629	00	15	30
		1625	00	14	72
		1627	00	09	11
		1623	00	11	94
		1665	00	16	41

		1730	00	02	74
		1729	00	16	80
		1722	00	17	25
		1721	00	00	40
		981	00	08	94
Bhagawanpur	Lakhanpur- 299	2019	00	03	22
Bhagawanpur	Satrajepur- 303	520	00	07	41
		522	00	00	96
		502	00	06	61
		505	00	03	62
		488	00	01	51
		489	00	00	69
Bhagawanpur	Ataruha- 189	595	00	00	40
		397	00	04	58
Bachhawara	Maranchi- 40	2055	00	01	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2054	00	03	40
		2053	00	06	00
		2052	00	04	69
		2048	00	08	00
		2029	00	04	37
		2027	00	01	21
		2015	00	01	14
		1627	00	15	71
		1626	00	11	14
		1635	00	04	14
		1661	00	02	52
		1649	00	00	40
		1688	00	00	41
		1687	00	15	19
		1701	00	02	36
		2080	00	00	40
		1694	00	04	11
		1695	00	04	36

		1696	00	00	97
		1555	00	01	99
		1554	00	07	93
		1447	00	07	96
		1449	00	01	15
		1450	00	16	75
		1402	00	06	42
		1398	00	10	35
		761	00	00	40
		768	00	03	02
		767	00	01	69
		766	00	03	07
		765	00	00	40
		800	00	01	20
		801	00	03	58
		799	00	02	70
		798	00	09	69
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		797	00	09	04
		796	00	05	43
		813	00	05	32
		814	00	02	96
		790	00	06	60
		789	00	07	31
		865	00	03	11
		866	00	06	82
		872	00	16	45
		943	00	05	20
		501/2118	00	03	00

[F.No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.